(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.3(46)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/126 **Dated:** 21/10/20

Notification No. 08/2020– State Tax

No. F.3 (46)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 2nd day of March, 2020.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, with effect from the 1st March, 2020, in rule 31A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State, whichever is higher.

Explanation:– For the purposes of this sub-rule, the expression "Organising State" has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.".

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

21/x/20

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

No.F.3(46)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 126 **Dated:** 21/10/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Website.
11. Guard File.

21/X/20

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, (i) *vide* notification dated the 22nd June, 2017, published *vide* No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No. 02/2020 - State Tax, dated the 28/08/2020, published vide No. F.3(34)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-IV/65, dated the 28/08/2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं0फा0 03(46)/वित्त (राज0– I)/2020–21/डीएस–I V/126 दिनांक: 21/10/20

अधिसूचना संख्या 08/2020–राज्य कर

सं.फा. 3(46)/वित्त(राजस्व–I)/2020–21/डीएस–IV/ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम 2020 है।
   (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में तारीख 2 मार्च, 2020 को प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 31क के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम 1 मार्च, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100/128, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए "आयोजनकर्ता राज्य" पद का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार 21/x/20

(मनोज कुमार)
उप सचिव– IV(वित्त)

सं0फा0 03(46) / वित्त (राज0– I) / 2020–21 / डीएस–I V / 126 दिनांक: 21/10/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. वेब साईट।
11. गार्ड फाइल।

मनोज कुमार 21/10/20

(मनोज कुमार)
उप सचिव– IV(वित्त)

टिप्पण : – मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग– IV, में अधिसूचना सं. फा. 3(10) / वित्त (राजस्व– I) / 2017–18 / डीएस– VI / 342, तारीख 22 जून, 2017 अधिसूचना सं0 22 / 2019–राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका संख्यांक सं.फा.3(34) / वित्त(राजस्व– I) / 2020–21 / डीएस–I V / 65, तारीख 28 / 08 / 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 02 / 2020– राज्य कर तारीख 28 / 08 / 2020, अंतिम संशोधन किया गया था ।